

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *298
जिसका उत्तर गुरुवार, 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

298 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं ;
- (ख) देश के अन्य उच्च न्यायालयों में वर्तमान में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों में कितने न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई; और
- (घ) क्या यह सच है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों के कारण मामलों के निपटान में अत्यधिक समय लग रहा है ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद से संबंधित श्री रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 298# जिसका तारीख 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) से (घ) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों के ब्यौरे उपाबंध में है । 01.01.2022 - 24.03.2025 के दौरान, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 206 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए और 340 न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और उच्चतम न्यायालय की 28 अक्टूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित तारीख 6 अक्टूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पहले सिफारिशें करना आवश्यक है। तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा इस समय-सीमा का शायद ही पालन किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के विचार एमओपी के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी सिफारिशों पर विचार किया जाना होता है। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशों को तब सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किया जाता है। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश एससीसी द्वारा की गई है। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने का एकमात्र कारण न्यायाधीशों के पदों पर रिक्ति होना नहीं है। न्यायालयों में मामलों का लंबन, अनेक कारकों के कारण होता है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों जैसे बार, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग न्यायालयों में मामलों की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

मामलों के निपटारे में विलंब के अन्य कारकों में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मॉनीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल है।

उपाबंध
(24.03.2025 तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्तियां
1.	इलाहाबाद	160	79	81
2.	आंध्र प्रदेश	37	30	7
3.	बम्बई	94	66	28
4.	कलकत्ता	72	46	26
5.	छत्तीसगढ़	22	16	6
6.	दिल्ली	60	39	21
7.	गुवाहाटी	30	25	5
8.	गुजरात	52	32	20
9.	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10.	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11.	झारखंड	25	15	10
12.	कर्नाटक	62	50	12
13.	केरल	47	44	3
14.	मध्य प्रदेश	53	34	19
15.	मद्रास	75	65	10
16.	मणिपुर	5	4	1
17.	मेघालय	4	4	0
18.	उड़ीसा	33	18	15
19.	पटना	53	37	16
20.	पंजाब और हरियाणा	85	53	32
21.	राजस्थान	50	34	16
22.	सिक्किम	3	3	0
23.	तेलंगाना	42	30	12
24.	त्रिपुरा	5	5	0
25.	उत्तराखंड	11	9	2
